राज्य स्तरीय निवेश संबंधित साधिकार समिति

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

:: **आदेश** ::

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2004

क्रमांकः एफ 19/167/2004/1/4 :: औद्योगिक नीति 2004 एवं कार्य योजना के क्रियान्वयन एवं राज्य के औद्यागीकरण को वांछित गति प्रदान करने एवं राज्य के पूंजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से सामान्य कठिनाईयों/गतिरोध के सामयिक निराकरण व उन्हें प्रदान किये जाने वाले आदानों को सामयिक स्वीकृति के एकल बिन्दु निराकरण के उद्धेश्य से रूपये तीन करोड़ से 25 करोड़, फूड एण्ड एग्रो प्रोसेसिंग दुग्ध उत्पादन हर्बल एवं वन आधारित उद्योगों संबंधी प्रकरणों में 3.00 करोड़ से 10.00 करोड़ रूपये तक के विनियोजन की परियोजना के संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने एवं राज्य स्तर पर औद्योगिक एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य स्तरीय निवेश संबंधित साधिकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

1.	मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग	उपाध्यक्ष
3.	प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो.	सदस्य सचिव
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं पर्यावरण	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	सदस्य
15.	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश	सदस्य
16.	संचालक, संस्थागत वित्त	सदस्य
17.	प्रबंध संचालक, राज्य औद्योगिक विकास निगम	सदस्य
18.	प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम	सदस्य
19.	प्रदेश स्तरीय औद्योगिक संगठनों के मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि	सदस्य

2/ उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव उनके विभाग से संबंधित बिन्दु विचाराधीन होने पर स्वतः ही इस समिति की सदस्य होंगे। समिति की बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति बैठक हेतु आवश्यक होगी।

3/ यह समिति 3 से 25 करोड़ रूपये फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग दुग्ध उत्पादन हर्बल एवं वन आधारित उद्योगों संबंधी प्रकरणों में तीन करोड़ से दस करोड़ तक लागत वाले निजी निवेश प्रस्तावों से संबंधित निम्नांकित कार्यों के सम्पादन हेतु सक्षम होगी :-

अ- वित्तीय आकलनों के अनुमोदन स्वीकृतियों सहित ऐसे प्रकरणों में अनुमोदन जिनका निस्तारण संबंधित विभाग/संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया यथा आवश्यक पंजीयन, अनुमतियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, लायसेंस, अनुदान स्वीकृतियां, परिसीमन, भूमि आवंटन/रूपांतरण, खनन पट्टा, विद्युत एवं पानी की उपलब्धि, व राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित स्वीकृतियां (इनमें वित्तीय संस्थाओं के ऋण से संबंधित प्रकरण शामिल नहीं होंगे) किन्तु प्रकरण में होने वाले विलम्ब के संबंध में समिति विचार कर निर्देश जारी कर सकेगी।

ब- 25 करोड़ रूपये, फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग, दुग्ध उत्पादन हर्बल एवं वन आधारित उद्योगों संबंधी प्रकरणों में 10 करोड़ से कम एवं 3 करोड़ रूपये से अधिक, लागत वाले आधारभूत ढॉचे के ऐसे क्षेत्र, जिनमें निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना है, के संबंध में निर्णय करना।

स- 25 करोड़ रूपये, फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग, दुग्ध उत्पादन हर्बल एवं वन आधारित उद्योगों संबंधी प्रकरणों में 10 करोड़, से कम एवं 3 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से लगने वाली निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से संबंधित नीतियो, प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं संबंधित विभागों/संस्थाओं को समयावधि में निराकरण हेतु निर्देश प्रसारित करना, जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति से प्रक्रियाओं में संशोधन हेतु प्राप्त अनुशंसाओं/प्रस्तावों पर निर्णय लेकर संबंधित विभागों को निर्देश प्रसारित करना।

द- अन्य नीतिगत मामलों में 25 करोड़ रूपये, फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग, दुग्ध उत्पादन हर्बल एवं वन आधारित उद्योगों संबंधी प्रकरणों में 10 करोड़ से कम लागत से लगने वाली निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से संबंधित उद्योगों के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता हो, विचार कर सुझाव/निर्णय/निर्देश/अनुमति देना। उक्त अधिकार प्राप्त समिति के निर्णय संबंधित विभागों/संस्थाओं के लिये बाध्यकारी होंगे एवं मंत्री मण्डल सचिवालय द्वारा मध्यप्रदेश कार्य के नियम में किये गये संशोधन के क्रम में ऐसी स्वीकृतियां का पालन संबंधित विभागों/संस्थाओं द्वारा बिना अन्य कोई परीक्षण किये अथवा विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन की प्रतीक्षा किए की जावेगी।

4/ जब तक कि भंग न की जाये समिति का कार्यकाल स्थाई होगा इसकी बैठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु प्रत्येक त्रैमास में एक बार आवश्यक रूप से होगी। समिति का प्रशासनिक विभाग वाणिज्य एवं उद्योग विभाग होगा एवं इसका सचिवालय म0प्र0 ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता/-
(राजकुमार पाठक)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांकः एफ 19/167/2004/1/4 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2004

प्रतिलिपि :-

1. समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यगण/सदस्य सचिव।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनकी यू0ओ0 टीप क्रमांक-640/एफ 20-36/04/बी/ग्यारह, दिनांक 31/08/2004 के संदर्भ में नस्ती सहित।
3. सचिव, महामहित राज्यपाल महोदय, म0प्र0 भोपाल।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. निज सचिव, मंत्री महोदय, सर्व संबंधित विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, सर्वसंबंधित विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
7. विभागाध्यक्ष, सर्व संबंधित विभाग, म0प्र0 शासन।
8. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
10. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क (मंत्रालय प्रकोष्ठ)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/-
(राजकुमार पाठक)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
''मंत्रालय'',
वल्लभ भवन, भोपाल–462004
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 09 अगस्त, 2005

क्रमांक एफ 19–167/2004/1/4, :: औद्योगिक नीति 2004 एवं कार्य योजना अंतर्गत इस विभाग के समसंख्य आदेश दिनांक 14/09/2004 द्वारा गठित राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :–

1.	मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं पर्यावरण	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर	सदस्य
10.	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश	सदस्य
11.	प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमें कापोरेशन लि0 भेपाल,	सदस्य
12.	प्रदेश स्तरीय औद्योगिक संगठनों के मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि	सदस्य
13.	प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन।	सदस्य सचिव

2/ समिति की बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त 30 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

3/ समिति के कार्य संपादन हेतु निर्धारित अन्य शर्ते/नियम सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19–167/2004/1/4, दिनांक 14/09/2004 अनुसार यथावत् रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता/–
(सुनीता त्रिपाठी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांकः एफ 19/167/2004/1/4, भोपाल, दिनांक 09 अगस्त, 2005

प्रतिलिपि :–

1. समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यगण/सदस्य सचिव।
4. वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की ओर नस्ती सहित।
5. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, म0प्र0 शासन, राजभवन भोपाल।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. निज सचिव, मंत्री, म0प्र0 शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, सर्वसंबंधित विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
7. विभागाध्यक्ष, सर्व संबंधित विभाग।
8. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
9. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
10. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क (मंत्रालय प्रकोष्ठ)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/–
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

शीर्ष स्तरीय (अपेक्स) निवेश संवर्धन साधिकार समिति

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004
–––

//आदेश//

भोपाल,दिनांक 22 जुलाई, 2004

क्रमांक एफ–19/143/2004/1/4:: राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2004 एवं कार्य योजना के क्रियान्वयन एवं राज्य के औद्योगीकरण को वांछित गति प्रदान करने एवं राज्य में पूजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से सामान्य कठिनाईयों/गतिरोध के सामयिक निराकरण व उन्हें प्रदान किये जाने वाले आदानों को सामाजिक स्वीकृति के एकल बिन्दु निराकरण के उददेश्य से मेगा प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने एवं राज्य स्तर पर औद्योगिक एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु शीर्ष स्तरीय (अपेक्स) निवेश संवर्धन साधिकार समिति निम्नानुसार गठित की जाती है :–

1.	मुख्यमंत्री,मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	मंत्री,वाणिज्य एवं उद्योग	उपाध्यक्ष
3.	मंत्री वित्त, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
4.	मंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
5.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग	सदस्य सचिव

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित अन्य विभागों के मंत्री उनके विभाग से सबंधित बिन्दु विचाराधीन होने पर समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव भी समिति के कार्य संपादन में सहायता देने हेतु उपस्थित रहेंगे। समिति की बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति बैठक हेतु आवश्यक होगी।

<u>समिति का कार्यक्षेत्र एवं अधिकार</u>

1. इस समिति को मंत्री परिषद की आर्थिक मामलों की समिति के समकक्षीय अधिकार होंगे। समिति औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं पर विचार कर स्वीकृति एवं समीक्षा कर सबंधितों को आवश्यक निर्देश दे सकेगी।
2. यह समिति 25 करोड रूपये से अधिक लागत वाले निजी निवेश प्रस्तावों से सबंधित निम्नांकित कार्यो के संपादन हेतु सक्षम होगी।

अ–वित्तीय आकलनों के अनुमोदन व स्वीकृतियों सहित ऐसे प्रकरणों में अनुमोदन जिनका निस्तारण संबंधित विभाग/ निगम /बोर्ड/अभिकरण /संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया। यथा आवश्यक पंजीयन, अनुमतियां अनापत्ति प्रमाण पत्र लायसेंस अनुदान स्वीकृतियों, परिसीमन, भूमि आवंटन/ रूपांतरण खनन पटट्ा विद्युत एवं पानी की उपलब्धि व राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सुविधाओं से संबधित स्वीकृतियॉ (इनमें वित्तीय संस्थाओं के ऋण से संबंधित प्रकरण शामिल नहीं होंगे) किन्तु प्रकरण में होने वाले विलम्ब के सबंध में समिति विचार कर निर्देश जारी कर सकेगी।

ब–25 करोड रूपये से अधिक लागत वाले पूंजी निवेश की परियोजनाओं हेतु क्लियरेन्स एवं दिशा निर्देश जारी करेगी एवं निवेश हेतु रणनीति निर्धारित करेगी।

3. यह समिति औद्योगिक नीति 2004 एवं कार्ययोजना में प्रस्तावित नीतियों के कियान्वयन जिसमें करों का युक्ति–युक्तकरण, मेगा प्रेाजेक्टस को सुविधायें एवं अन्य सबंधित मामले शामिल हैं, पर निर्णय ले सकेगी एवं समीक्षा कर सकेगी।
4. समिति, वृहद उद्योगों के ऐसे प्रकरण जिनमें सबंधित विभागों/निगम/बोर्ड/अभिकरण/संस्थाओं द्वारा समयावधि में निराकरण नहीं किया गया हो निराकृत करेगी।
5. समिति,अन्य सभी नीतिगत मामलों में जिनका उद्योगों के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पडता हो,विचार कर सुझाव/निर्णय/निर्देश/अनुमति दे सकेगी।
6. समिति,औद्योगिक विकास एवं निवेश नीतियों,प्रक्रियाओं तथा व्यवस्थाओं में आवश्यकतानुसार संशोधन कर तद्नुसार संबंधित विभागों को निर्देश दे सकेगी।
7. समिति,विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले कस्टामाइज्ड पैकेज पर विचार कर आवश्यक स्वीकृति दे सकेगी।
8. समिति राज्य में आधारभूत सुविधाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु योजनाओं,प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लेना,स्वीकृति प्रदान करना,तथा अंतर्विभागीय मसलों पर निर्णय लेना जैसे कार्य करेगी।
9. समिति, राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति के निर्णयों के पालन न होने के मामलों की समीक्षा कर निर्देश जारी कर सकेगी तथा जिला एवं राज्य स्तरीय समितियों से प्राप्त नीतिगत प्रस्तावों पर विचार कर यथोचित निर्णय ले सकेगी।

उक्त सर्वाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय संबंधित विभागों/निगमों/बोर्डो/अभिकरणों/संस्थाओं के लिये बाध्यकारी होंगे एवं मंत्रीमंडल सचिवालय द्वारा मध्यप्रदेश कार्य के नियम में किये गये संशोधन के क्रम में ऐसी स्वीकृतियों का पालन संबधितो द्वारा बिना अन्य कोई परीक्षण किये अथवा विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन की प्रतीक्षा किये बगैर किया जायेगा।

जब तक कि भंग न किया जाये समिति का कार्यकाल स्थायी होगा, इसकी बैठक आवश्यकतानुसार होगी,किन्तु प्रत्येक त्रैमास में एक बार आवश्यक रूप से होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(एस.एस.वानखडें)
सचिव,
म0प्र0 शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र.एफ–19/143/2004/1/4 भोपाल,दिनांक 22 जुलाई 2004

प्रतिलिपिः–

1. सचिव,महामहिम राज्यपाल महोदय,मध्यप्रदेश भोपाल।
2. सचिव,मुख्यमंत्री महोदय.मध्यप्रदेश,भोपाल।
3. निजी सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग,मंत्री.मध्यप्रदेश,भोपाल।
4. निजी सचिव मंत्री महोदय सर्वसंबंधित विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
5. मुख्य सचिव के उपसचिव,मध्यप्रदेश भोपाल।
6. प्रमुख सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
7. प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश सर्व संबंधित विभाग भोपाल।
8. उद्योग आयुक्त,मध्यप्रदेश भोपाल।
9. विभागाध्यक्ष,सर्वसबंधित विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
10. प्रबंध संचालक,सर्वसंबंधित निगम,मध्यप्रदेश,भोपाल।
11. संयुक्त संचालक,जनसंपर्क,मंत्रालय प्रकोष्ठ भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/–
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

....